<u>एनएचएसआरसीएल</u>

<u>सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत उपलब्ध विवरण</u>

I. एनएचएसआरसीएल की संरचना, कार्य एवं कर्तव्यों का विवरण
इसका विवरण हमारी वेबसाइट पर <u>'हमारे बारे में' शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।</u>

II. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
कंपनी के अधिकारी तथा कर्मचारी कंपनी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन/व्यावसायिक संचालन के लिए आवश्यक अलग-अलग कई गतिविधियाँ करते हैं। ये शक्तियां और कर्तव्य मुख्यतः उनके कार्य विवरण, नियुक्ति की नियम एवं शर्तों तथा कंपनी के भीतर सौंपी गई शक्तियों पर आधारित होती हैं।

III. पर्यवेक्षण और जवाबदेही की प्रणाली सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

<u>निर्णय लेते समय बोर्ड की संरचना और पालन की जाने वाली प्रक्रिया :</u>

निदेशक मंडल

⇩

प्रबंध निदेशक

⇩

कार्यात्मक निदेशक

⇩

पीईडी, ईडी, जीएम, कार्यात्मक प्रमुख; फील्ड/साइट ऑफिस में सीपीएम एवं पीसीपीएम; और अधिकारी

नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार एवं गुजरात सरकार द्वारा क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया है।

कंपनी का प्रबंधन उसके निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा किया जाता है जिसमें कार्यात्मक निदेशक एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल होते हैं। निदेशक मंडल कंपनी का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है जिसे ऐसी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने और ऐसे सभी कार्य एवं चीजें करने का अधिकार है, जिन्हें कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम के अधीन प्रयोग करने और करने हेतु कंपनी अधिकृत है।

बोर्ड की मुख्य न्यासिक जिम्मेदारी में शेयरधारकों के मूल्य की सुरक्षा एवं संवर्द्धन शामिल है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के कार्यों के प्रबंधन से बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों की अपेक्षाएं पूरी हों।

कंपनी के दैनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रबंध निदेशक (एमडी) की है, जिसको वर्तमान में पांच कार्यात्मक निदेशकों - निदेशक परियोजनाएँ, निदेशक वित्त, निदेशक रोलिंग स्टॉक, निदेशक इलेक्ट्रिकल एवं सिस्टम, और कार्य निदेशक द्वारा मदद की जाती है। सभी कार्यात्मक निदेशक निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह हैं।

प्रबंध निदेशक को कंपनी अधिनियम और कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 154 के अधीन निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां सौंपी गई हैं। प्रबंध निदेशक कंपनी के किसी भी कार्यात्मक निदेशक/अधिकारी या कर्मचारी को अपनी शक्तियों का उप-प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकृत है।

IV. अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड

हालाँकि कंपनी द्वारा कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, फिर भी परियोजना तथा उससे संबंधित कार्यों से शीघ्रता से निपटने का प्रयास किया जाता है।

V. नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, जो कंपनी द्वारा रखे गए हैं या उसके नियंत्रण में हैं या अपने कार्यों के निर्वहन हेतु इसके कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित नियमों, विनियमों, नियमावली और अभिलेख का इस्तेमाल किया जाता है:

- रेलवे अधिनियम, 1989
- ज्ञापन एंव संस्था के अंतर्नियम
- निगमन से संबंधित दस्तावेज़
- लेखांकन नीतियां
- लेखांकन मानक
- व्यावहारिकता रिपोर्ट
- आरेख और डिज़ाइन संबंधी विशिष्टताएँ
- आयामों की अनुसूची (एसओडी)
- विशिष्टताओं एवं मानकों की नियमावली (एमएसएस)
- आयामों की अनुसूची (एसएस)
- कार्यान्वयन मानक
- अनुबंध की शर्तें
- निविदा दस्तावेज/ अनुबंध समझौते
- तकनीकी विवरण

VI. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश

किसी भी स्थानांतरण आदेश के जारी होने पर सभी संबंधित कर्मियों को सूचित कर दिया जाता है। सूचना की प्रकृति को देखते हुए स्वतः संज्ञान द्वारा प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

VII. कंपनी के पास या उसके नियंत्रण में मौजूद दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण

कंपनी के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ हैं या निम्नलिखित दस्तावेज़ उसके नियंत्रण में हैं:

- ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम
- निगमन से संबंधित दस्तावेज़
- कंपनी अधिनियम के तहत वैधानिक रजिस्टर
- वार्षिक रिपोर्ट
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष दाखिल रिटर्न एवं फॉर्म
- वार्षिक वित्तीय विवरण
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
- लेखा-बही
- टैक्स रिटर्न एवं संबंधित दस्तावेज़
- अनुबंध अनुबंध और ऐसी अन्य समतुल्य
- विशिष्टताएँ एवं आरेख
- व्यवहार्यता रिपोर्ट और तकनीकी विवरण
- अनुपूरक - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट
- सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) / पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) रिपोर्ट
- स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) रिपोर्ट

उपर्युक्त दस्तावेजों/श्रेणियों के संरक्षण की जिम्मेदारी एनएचएसआरसीएल के अंतर्गत आने वाला संबंधित विभाग है

VIII. नीति सृजन या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता से जुड़े सदस्यों के साथ परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण

कंपनी ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के उद्देश्य से संरेखण प्रभावित गांवों में हितधारकों के साथ परामर्श किया है। सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए), पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी), और स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) रिपोर्ट वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

IX. इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के प्रयोजन हेतु गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं, का विवरण

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, निदेशक मंडल में न्यूनतम तीन निदेशक और अधिकतम पंद्रह निदेशक हो सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल में वर्तमान में 11 सदस्य हैं, जिनमें 6 कार्यात्मक निदेशक - प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजनाएँ, निदेशक वित्त, निदेशक रोलिंग स्टॉक, निदेशक इलेक्ट्रिकल एवं सिस्टम, तथा निदेशक कार्य; तथा भारत सरकार द्वारा नामित तीन अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (अध्यक्ष सहित); तथा भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा नामित दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक यानी गुजरात सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक-एक निदेशक। वर्तमान निदेशकों की सूची वेबसाइट पर "हमारे बारे में → निदेशक मंडल" टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है।

<u>बोर्ड की समितियाँ – कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:</u>

सीएसआर समिति की वर्तमान संरचना भी वेबसाइट पर 'हमारे बारे में → आईआरपी, सामाजिक पहल एवं सीएसआर → कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व → सीएसआर समिति की संरचना' टैब के तहत उपलब्ध कराई गई है।

निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों में जनता हिस्सा नहीं ले सकती है।

X. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका

निर्देशिका वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

XI. इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें विनियमों के अनुसार प्रावधान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है

वर्तमान में, कंपनी अनुसूची 'क' कंपनियों पर लागू औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए तीसरी वेतन संशोधन समिति द्वारा उल्लिखित पारिश्रमिक दिशानिर्देशों का पालन करती है। इसमें नियमित एवं संविदा दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए, कंपनी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय महंगाई भत्ते (सीडीए) की सिफारिशों का पालन करती है। वार्षिक वेतन वृद्धि मूल वेतन का 3% होता है। लागू दरों के अनुसार एचआरए, सुविधाएं एवं भत्ते, प्रतिपूर्ति, छुट्टी, सेवानिवृत्ति लाभ, भविष्य निधि, आदि भी मौजूदा नीति एवं कंपनी नियमों के अनुसार दिए जाते हैं।

XII. इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली

लागू दरों के अनुसार एचआरए, सुविधाएं एवं भत्ते, प्रतिपूर्ति, छुट्टी, सेवानिवृत्ति लाभ, भविष्य निधि, आदि भी मौजूदा नीति एवं कंपनी नियमों के अनुसार स्वीकार्य हैं।

XIII. इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय एवं किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है।

एनएचएसआरसीएल की कोई अन्य एजेंसी नहीं है, इसलिए कोई विवरण नहीं दिया गया है।

XIV. सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है

कंपनी का जनता के लिए कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है।

कंपनी का गठन महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य और/या किसी अन्य क्षेत्र के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के कार्यान्वयन के लिए किया गया है।

महाराष्ट्र के मुंबई शहर और गुजरात के अहमदाबाद शहर के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी का कार्य जापान सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1,08,000 करोड़ रुपये (एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये) है।

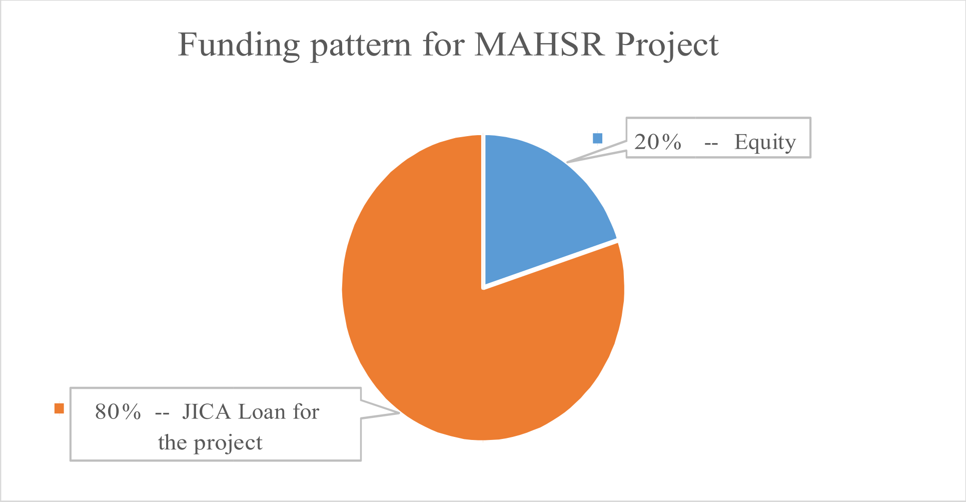

XV. दी गई रियायतें, परमिट या अधिकार के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

कंपनी ने कोई रियायत, परमिट या अधिकार नहीं दिया है।

XVI. कंपनी के पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी के संबंध में विवरण, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है

निम्नलिखित दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं:

- व्यावहारिकता रिपोर्ट
- तकनीकी विवरण
- अनुपूरक - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट
- सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) /पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) और स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) रिपोर्ट
- प्रस्तावित रुट का मानचित्र
- आमंत्रित एवं पुरस्कृत निविदाओं की सूची
- एनएचएसआरसीएल में डीबी सदस्यों का पैनलीकरण
- वार्षिक रिपोर्ट्स

XVII. नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के संचालन का समय भी शामिल हैं।

वांछित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.nhsrcl.in पर देखी जा सकती है।

भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) / सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) को संबोधित लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है। जनता की सुविधा के लिए, कंपनी की वेबसाइट

पर 'आरटीआई' शीर्षक के तहत "नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आरटीआई आवेदन कैसे करें" का लिंक दिया गया है।

कंपनी के पास आम जनता के लिए कोई पुस्तकालय सुविधा नहीं है।

एनएचएसआरसीएल वेबसाइट पांच भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी और जापानी) में उपलब्ध है।
इनके वेबलिंक नीचे दिए गए हैं:

अंग्रेजी के लिए: https://nhsrcl.in/en

हिंदी के लिए: https://nhsrcl.in/hi

गुजराती के लिए: https://nhsrcl.in/gu

मराठी के लिए: https://nhsrcl.in/mr

जापानी के लिए: https://nhsrcl.in/ja

XVIII. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण

लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) / सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) / अपीलीय प्राधिकारी का संपर्क विवरण कंपनी की वेबसाइट पर 'आरटीआई' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है।